

निर्माण कामगार के रूप में किये गये कार्य के लिए प्रमाण-पत्र

(..... माह वर्ष से माह वर्ष तक)
अधिकतम एक वर्ष तक ही भरत जाये

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमति
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी..... ने निर्माण
कामगार के रूप में उपरोक्त वर्णित एक वर्ष के अवधि में कुल दिनों तक कार्य किया
है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	निर्माण कार्य स्थल का पता	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	नियोजक/ठेकेदार का नाम, पता व फोन नं०
1				
2				
3				

प्रमाणकर्ता के हस्ताक्षर
(कार्यालय मोहर सहित)

स्थान.....	नाम
दिनांक.....	पद
	फोन नं०.....

(नियोजक अथवा ठेकेदार/पंचायत सचिव/ग्राम सचिव/कानूनीगों व पटवारी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी/सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी/तहसीलदार व नायब तहसीलदार/जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी/सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम निरीक्षक/सभी सरकारी विभागों/बोर्ड व निगमों के सभी उपमंडल अभियंता व कनिष्ठ अभियंता/राज्य की नगरपालिका, नगर निगम, नगर परिषदों तथा नगर निगमों के सभी सचिव, कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम अभियंता तथा कनिष्ठ अभियंता में से किसी एक द्वारा प्रमाणित)